तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स / एल.आर. / 6356 / 2006 / जयपुर सरकार बनाम कन्हैयालाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री अजीत सिंह राजावत, सदस्य

उपस्थित :
श्री ज्ञानी सिंह रावत, उप राजकीय अभिभाषक।
अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

दिनांक : 05.06.2026

निर्णय

यह रेफरेन्स अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अपने निर्णय व अभिशंषा दिनांक 13–07–2006 द्वारा राजस्व मण्डल को प्रेषित किया है।

रेफरेंस प्रार्थना पत्र राजस्व मण्डल में प्राप्त होने पर अप्रार्थी को रजि.ए.डी. नोटिस जारी किये गये, जो बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर प्रकरण में उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

रेफरेन्स प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार आमेर ने एक रेफरेंस प्रार्थना पत्र राजस्व मण्डल, अजमेर को प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि ग्राम रूण्डल तहसील आमेर के आराजी खसरा नम्बर 1503 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा माफी मंदिर श्री गोपीनाथजी महाराज के नाम दर्ज थी। जिसके मिसल बदोबस्त संवत् 2046 के अनुसार नवीन खसरा नम्बर 952 रकबा 0.63 हैक्टर है। एकीकरण की जमाबंदी तहरीर करते समय तत्कालीन राजस्व कर्मियों द्वारा मंदिर का नाम विलोपित करते हुए सीधे ही मेघसिंह पुत्र मु. बालसिंह राजपूत के नाम अंकित कर दी गई तथा वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। अतः अप्रार्थीगण के नाम हटाया जाकर माफी मन्दिर श्री गोपीनाथजी महाराज के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावें।

उप राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स / एल.आर. / 6356 / 2006 / जयपुर सरकार बनाम कन्हैयालाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उप राजकीय अभिभाषक का कथन है कि विवादित भूमि मंदिर मूर्ति के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी, जो बिना किसी सक्षम आदेश के अप्रार्थी के नाम दर्ज कर दी गई। चूंकि मन्दिर शाश्वत नाबालिग है, और मंदिर मूर्ति विराजमान शाश्वत नाबालिग की खातेदारी भूमि होने के कारण उसका अन्तरण किसी भी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता और ना ही उक्त भूमि में किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं। बिना किसी सक्षम आदेश के विवादित भूमि मंदिर के स्थान पर विधि विरूद्ध तरीके से अप्रार्थी के नाम दर्ज कर दी गई है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी बाबत अप्रार्थी के नाम दर्ज इन्द्राज निरस्त किये जाकर विवादग्रस्त आराजी को पुनः माफी मन्दिर श्री गोपीनाथजी महाराज के नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन व किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि विवादित भूमि माफी मन्दिर श्री गोपीनाथजी महाराज की खातेदारी में दर्ज थी। जिसको जमाबन्दी तैयार करते समय माफी मन्दिर का नाम विलोपित कर अप्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गई। माफी मन्दिर की भूमि का हस्तांतरण अप्रार्थी के पक्ष में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के हुआ है। मन्दिर मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है और उसकी भूमि पुजारी या किसी अन्य को काश्त करने से कोई स्वत्व या अधिकार प्राप्त नहीं होते है। इस प्रकार मूर्ति मंदिर की भूमि का नियम विपरीत हस्तांतरण हुआ है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा कालांतर में जमाबंदी एंव राजस्व रिकोर्ड में बिना किसी सक्षम व विधिक आदेश के मंदिर मूर्ति की भूमि की खातेदारी समाप्त कर निजी खातेदारी में दर्ज

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स / एल.आर. / 6356 / 2006 / जयपुर सरकार बनाम कन्हैयालाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कर दी गई, जो पूर्णतया गलत व विधि विरूद्ध है।

राजस्व विधि में मूर्ति मंदिर को शाश्वत अव्यस्क माना जाकर उसके स्वत्व व खातेदारी अधिकार की भूमि का किसी भी प्रयोजनार्थ हस्तान्तरण वर्जित है। इस प्रकार मन्दिर मूर्ति की भूमि का अप्रार्थी के नाम अन्तरण, नामांकन तथा राजस्व अभिलेख में अंकन पूर्णतया विधि विरूद्ध होने से अवैध एवं प्रभाव शून्य है। अतः विवादग्रस्त आराजी अप्रार्थी के नाम विधिक प्रावधानों के विपरीत दर्ज होने से निरस्तनीय है।

अतः यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खसरा नं. 1503 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि, जो श्री गोपीनाथजी महाराज के नाम दर्ज थी, हटाकर वर्तमान खसरा नं. 952 रकबा 0.63 है0 अप्रार्थी के नाम दर्ज हो गई है, उसे अप्रार्थी के नाम से हटायी जाकर उक्त आराजी को पुनः माफी मन्दिर श्री गोपीनाथजी महाराज के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर एवं संबंधित तहसीलदार को निर्णय की प्रति अलग से प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

खुने न्यायालय में निर्णय सुनाया गया।

(अजीत सिंह राजावत)
सदस्य